यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** के माह 08/2013 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुशीराम नौटियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), एवं श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02-03-2019 से 07-03-2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरविंद कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2013 से 26.08.2013 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2005 से 07/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** का मुख्य कार्यकलाप राज्य के लोगों को क्षय रोग से संबन्धित स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं।

(ब) **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त उत्तराखंड है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) (समर्पण)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	----	----	326.65	248.44	27.60	26.05		79.76
2014-15			268.49	258.30	42.75	42.54		10.41
2015-16			281.26	271.01	37.56	27.14		20.66
2016-17			415.03	300.75	13.10	12.59		114.79
2017-18	----	----	359.08	348.12	25.29	23.79		12.46
2018-19 (01/2019)			368.00	299.51	3.50	1.39		--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

योजना का नाम	**वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
एनएचएम	2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एनएचएम	2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एनएचएम	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एनएचएम	2018-19 (02/2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) इकाई को बजट कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2018, 05/2014, 06/2018, 03/2015 एवं 02/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर- 01: लैब-टैक्नीशियन / एक्स-रे टैक्नीशियन एवं अन्य चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।

प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम गेठिया, नैनीताल इकाई का मुख्य कार्य तपेदिक / क्षयरोग से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवम दितीय स्तरीय की क्षयरोग से संबन्धित चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है। संस्थान मे 113 शैय्याओं के सापेक्ष मात्र 69 शैय्याये उपयोग मे है। यद्धपि तपेदिक / क्षयरोग एक तीव्र संक्रमणीय रोग है, संक्रमणीय रोग के उपचार के लिए गेठिया मे क्षयरोगाश्रम की स्थापना की गयी थी। इसके अलावा सामान्य वाहय रोग विभाग (OPD) भी इस क्षयरोगाश्रम मे स्थानीय जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालय मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशानिक कार्मिको की अत्याधिक कमी थी। चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियो के 81 स्वीकृत पद के सापेक्ष मात्र 54 कार्मिकों की तैनाती थी तथा 30 पद विभिन्न वर्षो से रिक्त पड़े हुये थे।

इसी प्रकार कार्यालय क्षयरोगाश्रम गेठिया, नैनीताल की वाहय रोग विभाग (OPD) एवं अन्त: रोग विभाग (IPD) की जाँच की गयी जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2013 से 2018 तक OPD/IPD दिये गए प्रारूप के अनुसार थी-

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017	2018
OPD	1489	3065	4703	2475	2020	1809
IPD	254	573	589	352	292	258
मृत्यु संख्या	03	34	34	19	19	05

उपरोक्त विवरण के अनुसार कार्यालय की OPD एवं IPD काफी अधिक थी। जिसके लिए कार्यालय मे एक्स-रे टैक्नीशियन एवं लैब-टैक्नीशियन का होना अति आवश्यक था। चूंकि क्षरोगाश्रम मे भर्ती मरीजों की एक्स-रे एवं बलगम (sputum) की जाँच उपचार के दौरान समय-समय पर की जानी होती है। परन्तु **एक्स-रे टैक्नीशियन एवं लैब-टैक्नीशियन** के पद माह 06/2006 एवं 01/2014 से क्रमश: रिक्त होने के कारण स्वास्थ सेवाओं, सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था। जैसा की उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय मे **लैब-टैक्नीशियन** का पद माह 01/2014 को रिक्त होने के पश्चात वर्ष 2014 व 2015 मे क्षयरोग से संबन्धित **मृत्यु दर** काफी अधिक हो गयी थी।

उपरोक्त से स्पष्ट था कि क्षयरोगाश्रम गेठिया, नैनीताल कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ के 81 पदो के सापेक्ष मात्र 54 पदो पर तैनाती थी तथा 30 पद (37%) रिक्त थे। जिसमे विशेष कर एक्स-रे टैक्नीशियन एवं लैब-टैक्नीशियन के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हुये थे। जिसके अभाव मे स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों कि पुष्टि करते हुये स्वीकार किया कि स्टाफ कि कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जबकि कार्यालय कि OPD/IPD काफी मात्र मे है। **एक्स-रे टैक्नीशियन** न होने के कारण एक्स-रे लेने एवं रोग कि पहचान करने मे कठिनाई हो रही है**। लैब-टैक्नीशियन** न होने के कारण क्षयरोग से संबन्धित मरीजों के बलगम (sputum) की जांच हेतु किसी एक कर्मचारी को भवाली सेनेटोरियम एवं वरिष्ठ क्षयरोग अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी को भेजना पड़ता है। जिसके लिए अतिरिक्त यात्रा भत्ता देना पड़ता है तथा रिपोर्ट आने मे 3 से 4 दिन का समय व्यतीत होता है। जिसके कारण क्षय रोगियों को सही समय पर उपचार, रिपोर्ट के अभाव मे किया जाना सम्भव नहीं हो पता है।

अत: लैब-टैक्नीशियन / एक्स-रे टैक्नीशियन एवं अन्य चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर 02: गुणवत्ता निर्धारण किए बिना रु 8.04 लाख की औषधियों का वितरण किया जाना।

शासनादेश सं. 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं. 18 के अनुसार एक समय में क्रय की गई विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत औषधियों के रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए। ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जांच हेतु अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गयी औषधि के 01-02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाने का प्रावधान है। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल के औषधियो के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा 2013-14 से 02/2019 तक क्रय की गयी किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया, जिसमे से क्रय की गयी दवाइयो के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों मे वर्णित नियमो का उल्लंघन था।

S. No.	Year	No. of Medicine	Amount (Rs. in lakh)	No. of Total Medicine Random Sampling
1	2013-14	25	0.94	0
2	2014-15	24	1.21	0
3	2015-16	24	1.42	0
4	2016-17	51	2.46	0
5	2017-18	21	1.77	0
6	2018-19 (02/2019 तक)	2	0.24	0
	Total	**147**	**8.04**	0

उक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल ने तथ्यो एवं आंकणों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि सभी औषधियाँ अल्प अवधि हेतु क्रय की जाती है समयाभाव एवं मरीज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सैंपलिंग संभव नही हो पाती, निकट भविष्य मे इसका अनुपालन किया जाएगा।इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा औषधि के संबंध मे जारी शासनादेश की अनदेखी करते हुये औषधियों की आपूर्ति की गयी साथ ही औषधियों की गुणवत्ता संबंधी मरीजो मे वितरित किए जाने के फलस्वरूप मरीजो के स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं रखा गया।

अतः गुणवत्ता निर्धारण किए बिना रु 8.04 लाख की औषधियों का वितरण किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 03:- कार्मिकों के PRAN No. प्राप्त न किए जाने एवं एनपीएस मे अंशदान रु 0.61 लाख की कटौती न होने के कारण नियोक्ता के अंशदान रु 0.61 लाख से वंचित रखा जाना।

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/XXVII(7)/अ०पे०यो/2005 के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या -113/06/XXVII(10) 2017, दिनाक: 06-04-17 में स्पष्ट किया गया हैं कि अंशदाई पेंशन योजना के अन्तर्गत कार्मिको के 10% अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखा शीर्षक -8342011170301 मे जमा किया जाएगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में 2071011170301 से कटौती कर लेखा शीर्षक 8342011170302 मे जमा की जाएगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक -83420111703 मे जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0 आइ0 ए0 को प्रेषित किया जाएगा।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम, गोठिया नैनीताल मे कार्यरत नव-नियुक्त कर्मचारियों / अधिकारियों के एनपीएस/PRAN खातो एवं उससे संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया हैं कि निम्न कार्मिक की नियुक्ति कार्यालय मे की गयी थी, जिनका विवरण निम्न प्रारूप मे दिया गया है-

नाम	पदनाम	DOJ	कर्मिक का अंश	सरकार का अंश	योग
डा0 मीरा जोशी	चिकित्सा अधिकारी	01-05-18	61399.00	61399.00	**122798.00**

उपरोक्त दिये गए प्रारूप मे कर्मिको का वर्तमान 02/2019 तक PRAN No. ही प्राप्त नहीं किया गया था। नियमानुसार नियुक्ति के तुरन्त बाद PRAN No. प्राप्त किया जाना चाहिए था तथा Employ की प्रत्येक माह वेतन से (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के 10% धनराशि की कटौती के समतुल्य employer share की नियमानुसार कटोती की जानी चाहिए थी। परंतु कार्यालय की लापरवाही के कारण NPS के तहत अंशदान की कटौती न किए जाने के कारण कर्मियों को नियुक्ति तिथि से माह 02/2019 तक उपरोक्त प्रारूप के अनुसार कर्मिक अंश तथा नियोक्ता अंश की धनराशि रु0 61399+61399= **रु0 122798/-** से वंचित रहना पड़ा था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इकाई के द्वारा उक्त प्रकरण मे लेखापरीक्षा तिथि (03/2019) तक नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिसके अभाव मे कर्मिकों को उपरोक्त प्रारूप के अनुसार की गयी गणना से वंचित रहना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्वीकार किया कि सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर लिया जायेगा तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार को PRAN संख्या आवंटित होने के उपरान्त छाया प्रति प्रेषित कर दी जाएगी।

अत: कार्मिकों के PRAN No. प्राप्त न किए जाने एवं एनपीएस मे अंशदान रु 0.61 लाख की कटौती न होने के कारण नियोक्ता के अंशदान रु 0.61 लाख से वंचित रखे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
58/2013-14	-	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	----------	अप्रस्तुत --------		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---शून्य---

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ भगवान सिंह देउपा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	08.13 से 31.03.14
2	डा॰ टी॰ सी॰ पंत	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.04.14 से 15.08.16
3	डा॰ राजेश पाण्डे	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक	16.08.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.